



# भारत का राजपत्र

# The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04022026-269823  
CG-DL-E-04022026-269823

असाधारण  
EXTRAORDINARY  
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 472।

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 4, 2026/माघ 15, 1947

No. 472।

NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 4, 2026/MAGHA 15, 1947

## सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 फरवरी, 2026

**का.आ. 501(अ).**— केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 5650(अ) तारीख 08/12/2025, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा तमिलनाडु राज्य के कांचीपुरम जिले में NH4 के कि.मी. 27.6 से कि.मी. 86.45 तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चोड़ाकरने / चार लेन का बनाने/ छह लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपावद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख 18/12/2025 को “द टाइम्स आफ इंडिया [इंग्लिश]” और “दिनमणि [तमिल]” दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

जबकि सक्षम प्राधिकारी को किसी व्यक्ति से कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विलंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

### अनुसूची

तमिलनाडु राज्य के कांचीपुरम जिले में NH4 के कि.मी. 27.6 से कि.मी. 86.45 के लिए अर्जन की जाने वाली भूमि का संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: तमिलनाडु			जिले का नाम: कांचीपुरम		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/ हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: कांचीपुरम					
गांव का नाम: दमल					
1	471/1ए पीटी	निजी	वेट	0.031	1.मनोगरण एँस/ओ गुरुसामी 2.सुरेश बाबू एँस/ओ रंगराज 3.अनुराधाहारी डबल्यू/ओ चंद्र सेकारा राजू 471/1A2
2	471/2 पीटी	निजी	वेट	0.0023	टी.ए.पी.श्रीनुवासा वराठाचारी 471/2B
3	471/3ए पीटी	निजी	वेट	0.0217	श्रीधर एँस/ओ अंबुजम्मल 471/3A2
4	471/4ए	निजी	वेट	0.005	मनोगरण एँस/ओ हरियाप्पा नाईकर 471/4A
5	472/1 पीटी	निजी	वेट	0.0195	1.मनोगरण एँस/ओ गुरुसामी 2.सुरेश बाबू एँस/ओ रंगराज 3.अनुराधाहारी डबल्यू/ओ चंद्र सेकारा राजू 472/1B

6	483/2ए पीटी	निजी	वेट	0.0064	एन्स.दिनकरन एस/ओ नवमणि 483/2A2
7	483/3ए	निजी	वेट	0.0013	गोपालकृष्णन एस/ओ रामनाथन 483/3A2
<b>Total</b>				<b>0.0872</b>	

[फा. सं. NHA/18011/23-1/2000-PIU- IV/110/3D]

शेख अमीनखान, निदेशक

## MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

### NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd February, 2026

**S.O. 501(E).**—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, **5650 (E), Dated:08/12/2025**, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/Six-laning, etc.), maintenance, management and operation of Poonamallee to Walajahpet Section of NH4 in the stretch of land from Km. 27.600 to Km. 86.450 in the district of KANCHEEPURAM in the state of TAMIL NADU

And whereas the substance of the said notification has been published in “The Times of India” and “Dinamani” both dated 18/12/2025 under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas no objection has been received from any person by the Competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

#### SCHEDE

**Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the Poonamallee to Walajahpet Section of NH4 in the stretch of land from Km. 27.6 to Km. 86.45 in the district of KANCHEEPURAM in the state of TAMIL NADU**

State: TAMIL NADU			District: KANCHEEPURAM		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Hectares)	Name of Land Owner/Interested Person
1	2	3	4	5	6
<b>Taluk: Kancheepuram</b>					
<b>Village: Damal</b>					
1	471/1A Pt	Private	Wet	0.031	1. Manogaran S/o Gurusamy 2. Suresh

					Babu S/o Rangaraj 3.AnuradhaHari W/o Chandra Sekara Raju 471/1A2
2	471/2 Pt	Private	Wet	0.0023	T.A.P.Srinuvasa varathachari 471/2B
3	471/3A Pt	Private	Wet	0.0217	Sridhar S/o Ambujammal 471/3A2
4	471/4A	Private	Wet	0.005	Manogaran S/o Hariyappa Naicker 471/4A
5	472/1 Pt	Private	Wet	0.0195	1.Manogaran S/o Gurusamy 2.Suresh Babu S/o Rangaraj 3.AnuradhaHari W/o Chandra Sekara Raju 472/1B
6	483/2A Pt	Private	Wet	0.0064	N.Dinakaran S/o Navamani 483/2A2
7	483/3A	Private	Wet	0.0013	GopalaKrishnan S/o Ramanathan 483/3A2
<b>Total</b>				<b>0.0872</b>	

[F. No. NHAI/18011/23-1/2000-PIU- IV/110/3D]

SAIKH AMINKHAN, Director